न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 60/18

1. पूरन पुत्र हट्टी
2. कल्लो बेवा कल्याण
3. मुकेश पुत्र कल्याण
4. मुन्शी पुत्र कल्याण
5. धनराज पुत्र कल्याण
6. पूजा पुत्री कल्याण
7. इमरती पुत्री कल्याण
8. बरफी पुत्री कल्याण
9. कडी बेवा हट्टी जाति बैरवा निवासीयान खावदा, तहसील सपोटरा, जिला करौली।

अपीलांटान

बनाम

1. राजू पुत्र नाथ्या
2. रामकेश पुत्र नाथ्या
3. तेजराम पुत्र नाथ्या जाति बैरवा, निवासीयान नीमोदा, तहसील सपोटर, जिला करौली।
4. धप्पो पुत्री मीठ्या पत्नी चिमन्या जाति बैरवा निवासी गुलाबपुरा।
5. लैण्ड होल्डर एवं सब रजिस्ट्रार जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा
मु0न0 13/14 प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.04.2018 व फाइनल डिक्री दिनांक 08.05.2018)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री श्याम प्रकाश गर्ग
2. रेस्पोडेटान की ओर से श्री अशफाक अहमद

निर्णय दिनांक 20.01.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मु0न0 13/2014 प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.04.2018 व फाइनल डिक्री दिनांक 08.05.2018 के विरूद्व पेश की गयी है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश की वादी एवं प्रतिवादीगणों की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 246/1, 334 कुल किता 2 कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा ग्राम खावदा तहसील सपोटरा में स्थित है जिसका बाहमी बटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ जाने के कारण दिनांक 20.09.2007 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को जमीन जोतने से मना कर दिया इस प्रकार वाद कारण उपस्थित होने के कारण दावा वादीगण पेश कर आराजी विवादित का रिकार्ड में बटवारा कराने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई थी कि उक्त आराजीयात को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड बटवारा किया जाकर तथा लगान व खाता अलग किया जावे। प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा से

Scanned by CamScanner

इस आशय से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत विधि विरूद्ध रूयेदाद मिसिल होने के फलस्वरूप निरस्त फरमाये जाने योग्य है। रेस्पो0/वादी नाथ्या का पिता मीठ्या उर्फ मोठया लगभग 50—55 साल पहले समाज की रीति रिवाज के अनुसार नीमोदा में गोद चला गया और वहॉ पर मुस्तकिल रूप से बस गया मीठया ने खावदा की सकूनत मुस्तकिल रूप से त्याग दी और आज तक मीठया या नाथ्या या उसके वारिस ने विवादित जमीन को कभी काश्त नहीं किया। मीठया का खावदा की जमीन से किसी तरह का कोई तालुक नहीं रहा, स्वयं मीठया ने अपीलाट के बुजुर्ग हट्टी के हक में एक किता तहरीर स्टाम्प कीमत 5/—रूपये पर तहरीर तकमील करते हुये यह लिखा दिया कि खावदा की जमीन जायदाद से मेरा किसी तरह से संबंध नहीं रहा है। यह जमीन हट्टी के हिस्से में रहगी तथा मकान व जमीन के मदें मीठया ने तहरीर लिखते समय गवाहो के समक्ष 440/— रूपये हट्टी से प्राप्त किये थे और इस तहरीर में सुन व समझ कर मीठया ने अपनी निशानी अंगुठा की थी जिसके वादीगण रेस्पो0 एस्टोप्ड है। इस संबंध में अदालत मातहत ने उपने निर्णयों में कोई विवेचन नहीं किया। तहरीर असाढ सुदी 10 वी सम्वत् 2031 की है जिसे लिखे हुए 30 साल से अधिक समय हो गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 साल पुराने दस्तावेज स्वयं साबित माना जावेगा। उसके साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस पर भी अदालत मातहत न कोई विवेचन अपने निर्णय व डिक्रीयों में नहीं किया है। रेस्पो0 की ओर से तहरीर पेश हुई है जो मीठया द्वारा तहरीर कराई गयी है। इस तहरीर के अनुसार अपीलांस का वाहिद कब्जा साबित है तथा अपीलांटस की वाहिद खातेदारी व कब्जे की साबित है। तहरीर फैमेली एरेंन्जमेन्ट की तारीफ में आता है। इसमें खावदा व नीमोदा की जमीनों के संबंध में फैमेली ऐरेन्जमेन्ट किया गया है जिस पर मीठया की निशानी है और स्पष्ट लिखापढी है। अपीलांट विवादित जमीन पर पिछले 50 साल से लगातार बिना किसी रोक टोंक के खुले रूप से खुले आम रेस्पो0 राजू वगैरह व मीठया व नाथ्य, धप्पो की जानकारी में काबिज चले आ रहे है। समस्त हक हकूक खातेदारी काश्तकारी अपीलांट में वेस्ट हो चुकी है। अदालत मातहत द्वारा पक्षकारो के एडमीशनस तक कोई अपनी फाइडिंग नहीं दी है। स्वयं नाथ्या वादी ने अपनी जिरह में "यह कहना सही है कि नीमोदा में हमारा कोई बटवारा नही हुआ।" यह कहना सही है कि "खावदा में

अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

हमारा मकान था जिसे हमने काका को हमने 800/– रूपये में बेचा था।" इसका अलावा नाथ्या ने अपनी जिरह में विवादित जमीन को 5 साल से अपीलांटस को बटाई व काश्त करना बताया है। " वर्तमान में मेने खेती नहीं की है 5 साल से बटाई पर बता रखी है। 2 साल से मुझे बटाई नहीं दे रहे है। जिसे रेस्पो0 ने अपने दावे में दर्ज नहीं किया है। सही तथ्यों को छिपाया है। नाथ्या ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि 50 साल पहले नीमोदा चले गये थे। तहत न्यायालय में तहरीर प्रदर्श–1 के अनुसार नीमोदा की जमीन नाथ्या के रही व खावदा की जमीन अपीलांट की रही जिसे अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। नाथ्या द्वारा अपील उनवानी पूरण बनाम नाथ्या मु0नं0 32/2011 निर्णय दिनांक 15.03.2013 नाथ्या द्वारा विवादित भूमि का विवादित 1/2 हिस्सा हरकेश पुत्र हटीला जाति बैरवा निवासी रामठरा तहसील सपोटरा को दिनांक 29.04.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वय किया गया है जिस अपीलांटस द्वारा पिछली अपील में पक्षकार बना चुके है जो स्वयं रेस्पो0 नाथ्या व उसके वारिस रामकेश, तेजराम, धप्पो को जानकारी रही है। रेस्पो0 को हिस्सेदार मानते हुए 1/2 जमीन का बंटवारा किया गया है तथा बटवारा स्कीम भी अभियान के दौरान मंगाली है। सही तथ्यो पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जा कर निर्णय व डिक्रीया जैर अपील मंसूखा की जा कर अपीलांटस का काउण्टर क्लेम डिक्री किया जा कर हमारे नाम विवादित जमीन की वाहिद खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश फरमाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस अपील में बताया कि रेस्पो0 एवं अपीलांटस की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 246/1, 334 कुल किता 2 कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा ग्राम खावदा तहसील सपोटरा में स्थित है विवादित आराजीयात पूर्व में रेस्पो0 के पिता व अपीलांटस के पिता की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है व जिसका बाहमी बटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पो0 के पिता काश्तकार अपना जीवन यापन करते रहे व उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजीयात रेस्पो0 के खातेदारी व कब्जे काश्त में साधिकार चली आ रही है। रेस्पो0 के पिता मीठया नीमोदा कभी गोद नहीं गये और ना ही मीठया ने अपीलांटस के पिता हट्टी के पक्ष में संवत् 2032 में कोई तहरीर नहीं की बल्कि यह तहरीर अपीलांटस के द्वारा साज करके व मनगढंत तथ्यों पर तैयार कर रेस्पो0 के हिस्से व खातेदारी के 1/2 आराजीयात छिनने की गरज से तैयार कर पेश की है व इस तहरीर के बाबत सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को है। अपीलांटस ने झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। रेस्पो0 के पक्ष में तहत न्यायालय द्वारा न्यायसंगत व विधि संमत निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Scanned by CamScanner

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2072 खतौनी सं0 52 के खसरा नम्बर 246/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा बारानी 2, नहरी, खसरा नम्बर 334 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा चाही ए, कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कॉलम नम्बर 4 में पूरन पुत्र हट्टी मुकेश, मुन्शी, धनराज पिसरान किलान्या, बरफी, इमरती, पूजा, पुत्रीयान किलान्या, कल्लो पत्नी स्व0 किलान्या हिस्सा बराबर, कडी पत्नी स्व0 हट्टी राहिन एस.बी.बी.जे शाखा, सपोटरा नाथ्या पुत्र मीठया धपो पुत्री मीठया कौम बैरवा सा0 देह अंकन है जिसका नामान्तरकरण संख्या 625 दिनांक 05.01.2018 को विरासत से नाथ्या के स्थान पर राजू, रामकेश, तेजराम पिसरान नाथ्या बैरवा के नाम दर्ज किया है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। रेस्पो0 के पूर्वज का गोद चले जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। अपीलांटस द्वारा प्रदर्श ए 1 कराई गई तहरीर अनरजिस्टर्ड तथा अस्पष्ट है। अनरजिस्टर्ड, दस्तावेज के आधार पर घोषणा खातेदारी किया जाना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहत न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री तनकी वार विवेचन कर व विधि संमत तरीके से पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 13/2014 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.4.18 एवं फाईनल डिग्री दिनांक 08.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.1.20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 17:08:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: